

नगर पालिक निगम सागर

के

अर्थ वर्ष 2013-14 का

संपरीक्षा प्रतिवेदन

भाग एक

07/2158
22/9/14

कार्यालय क्षेत्रीय उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, सागर, म.प्र.

क्रमांक / एल.एफ.ए.एस. / प्रति. / 2014

सागर, दिनांक:- 12-9-14

लोय

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम सागर
2. महापौर, नगर पालिक निगम सागर

रमा
अम

विषय:- अंकेक्षण प्रतिवेदन अर्थ वर्ष 2013-14 तक भाग- एक ।

-----00-----


आपकी निकाय का अंकेक्षण प्रतिवेदन अर्थ वर्ष 2013-14 भाग - एक (पृ. 1 से 120 तक) संलग्न प्रेषित ।

म.प्र.स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 10 (1) में विहित की गई प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई आपत्तियों का निराकरण कर उसका पालन प्रतिवेदन आपकी निकाय के विशेष सम्मेलन में अनुमोदन उपरान्त

चार माह की समयवधि में इस कार्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य है । उक्ताभाव में अधिनियम की धारा 10-3 (क) के अन्तर्गत निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी / प्रधान अधिकारी के रूप में आपके विरुद्ध भी सम्मिलित रूप से आरोप विरचित किये जा सकने का प्रावधान है ।

अतएव आपसे अपेक्षा है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति से चार माह के भीतर उपरोक्तानुसार विहित वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर वांछित पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ।

कृपया इस प्रतिवेदन की प्राप्ति की अभिस्वीकृति तत्काल भेजते हुये प्राप्ति की दिनांक भी सूचित करें ।


उपसंचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
सागर, म.प्र.
सागर, दिनांक:-

पृ.क. / एल.एफ.ए.एस. / प्रति. /

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. उपसंचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर की ओर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा ग्वालियर ।
4. महालेखाकार, ग्वालियर की ओर प्रेषित ।

एल.ए.एस.
उपसंचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
सागर, म.प्र.

नगर पालिक निगम, सागर (म.प्र.)

के लेखा वर्ष 2013-14 का संपरीक्षा प्रतिवेदन

भाग - एक

परिचायक :-

1. वर्तमान संपरीक्षावधि : दिनोंक 01.04.2013 से दिनोंक 31.03.2014
2. विगत संपरीक्षावधि : दिनोंक 01.04.2012 से दिनोंक 31.03.2013
3. संपरीक्षा का लेखावर्ष : 2013-14
4. निकाय के पदाधिकारी : महापौर
(1) श्रीमति अनीता बाई अहिरवार
दिनांक 01.04.2013 से 21.01.2014 तक
(2) श्रीमति पुष्पा सिल्पी
दिनांक 22.01.2014 से 31.03.2014 तक

आयुक्त

- (1) श्री एस. बी. सिंह
दि. 01.04.2013 से 12.03.2014 तक
 - (2) श्री आर. के. कार्तिकेय
दि. 13.03.2014 से 31.03.2014 तक
5. संपरीक्षा के अधिकारी :
- सहायक संचालक
- (1) श्री आर. बी. खरे
दि. 01.04.2013 से 31.03.2014 तक
- ज्येष्ठ संपरीक्षक
- (1) श्री एम. एच. हाशमी
दि. 01.04.2013 से 31.03.2014 तक
6. प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या : 120
7. महत्वपूर्ण आपत्तियों के अनुच्छेद : 1,2,5,9,10,11,12,21,23,26,41,42 कुल 12
8. प्रशासनिक प्रतिवेदन में सम्मिलित : 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,21,22,23,24,25,
किये जाने योग्य अनुच्छेद 26,27,28,29,30,32,33,38,40,41,42,43,45,47 योग 33
9. अधिभार योग्य आपत्तियों का विवरण :
1. संचालक के क्षेत्रान्तर्गत - निरंक
 2. संयुक्त संचालक के क्षेत्रान्तर्गत - निरंक
 3. उपसंचालक के क्षेत्रान्तर्गत - निरंक
 4. सहायक संचालक के क्षेत्रान्तर्गत - निरंक